क्र-02

संख्या 662 / का–2–2002

प्रेषक

मधुकर गुप्ता
मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 18 , जुलाई, 2002

विषयः–विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमीनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

विदेश सेवायोजन, विदेश प्रशिक्षण, विदेशों में आयोजित सेमीनार/ विचार गोष्ठी/सम्मेलन/सिम्पोजियम/स्कालरशिप/फेलोशिप/विदेश प्रतिनियुक्ति एवं व्यक्तिगत कार्यों से विदेश यात्रा किये जाने की नीति से संबंधित पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, उपर्युक्त के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:–

1. विदेश सेवायोजन–

विदेश सेवायोजन हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन–पत्रों को अग्रसारित करने एवं उन पर अनुमति प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर प्रकरणों का परीक्षण किया जाय–

(1) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन–पत्र अग्रसारित किए जायं, जो 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि में सेवारत हों, और जिन्हें संबंधित विषय की विशिष्टता में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो।

(2) ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन–पत्र अग्रसारित न किए जायं, जिनके विरुद्ध सतर्कता/ प्रशासनाधिकरण/ विभागीय जांच लम्बित हो, अथवा जिनके विरुद्ध उक्त में से कोई जांच किए जाने का निर्णय ले लिया गया हो।

(3) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन–पत्र अग्रसारित किए जायं, जिनके धारणाधिकार मूल विभाग में बनाये रखना संभव हो।

(4) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन–पत्र अग्रसारित किए जायं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र (यदि कोई हो) पर प्रस्तुत किये गये हों।

अनुमोदन का स्तर–

1. उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने के उपरान्त विदेश सेवायोजन से संबंधित आवेदन–पत्रों के अग्रसारण हेतु विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

1

I.T
upload करें।
27.01.18

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी.सी.एस.) विभागाध्यक्ष, निगमों के अध्यक्ष एवं निगमों के प्रबन्ध निदेशक से संबंधित प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

2. <u>विदेश प्रतिनियुक्ति–</u>

विदेश में प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन–पत्रों का परीक्षण उपर्युक्त प्रस्तर–1 के प्राविधानों के अनुसार करते हुए, उक्त प्रस्तर के अनुसार ही सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। विदेश में प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, और उक्त अवधि के समाप्त होने के 06 माह पूर्व संबंधित सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय।

3. <u>विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमीनार, विचार गोष्ठी, स्टडी टूर, सिम्पोजियम, वर्कशाप एवं स्कालरशिप/ फैलोशिप आदि में नामांकन/भाग लेना:–</u>

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों आदि के अन्तर्गत विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सरकारी सेवकों को विदेशों में आयोजित सेमीनार एवं गोष्ठियों आदि के लिए नामित किया जाता है। साथ ही साथ अन्य विदेश सरकारों द्वारा भारत के लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकों चिकित्सकों, कलाकारों आदि को समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे समस्त कार्यक्रमों हेतु नामित किए जाने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में निम्नलिखित मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों का पालन करने के उपरान्त ही उनका नामांकन/ आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाय:–

(1) दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने हेतु संबंधित सरकारी सेवक की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए, जिसे विशिष्ट परिस्थितियों में एक वर्ष अर्थात 46 वर्ष की आयु सीमा तक शिथिल किया जा सकता है किन्तु उक्त शिथिलीकरण हेतु संबंधित विभाग को यह प्रमाण देना होगा, कि संबंधित कार्यक्रम हेतु निर्धारित आयु सीमा के अधिकार या तो उपलब्ध नहीं हैं, अथवा नामित किए जाने वाले अधिकारी अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त हैं।

(2) लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 50 वर्ष तक की आयु के सरकारी सेवकों को नामित किया जाय।

(3) यदि किसी प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रम में संबंधित विदेश सरकार/संस्था द्वारा कोई भिन्न आयु–सीमा निर्धारित की गयी है, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।

(4) कम से कम 09 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों के ही नामांकन किए जायं।

(5) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जायं, जिन्हें संबंधित क्षेत्र/विषयवस्तु का समुचित ज्ञान न हो।

नोट:– (1) 30 दिन तक की अवधि के कार्यक्रमों को लघु अवधि के कार्यक्रम माना जायेगा। 30 दिन से अधिक अवधि के कार्यक्रमों को दीर्घकालीन कार्यक्रम माना जायेगा।

(2) 15 दिन से कम अवधि के कार्यक्रमों में नामांकन हेतु 50 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(6) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जायं, जिनके विरूद्ध सतर्कता जाँच/ प्रशासनाधिकरण जाँच/ अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो अथवा, जिसे प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका हो। ऐसे सरकारी सेवकों के भी नाम संस्तुत न किए जायं, जिनके